"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."




पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 जून 2017—ज्येष्ठ 19, शक 1939

## भाग 3 ( 1 )

### विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती कुमकुम मजुमदार पति स्व. आर. सी. मजुमदार, उम्र 64 वर्ष, निवासी- एम. आई. जी. 569, न्यू बोरसी कालोनी दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरा विवाह दिनांक 06-02-1966 को स्व. आर. सी. मजुमदार के साथ सपन्न हुआ. मेरे पति के सर्विस रिकार्ड, शादी कार्ड एवं पेंशन बुक में मेरा नाम रमा मजुमदार दर्ज हो गया है, जो कि मेरा घरेलु नाम है. अब मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती कुमकुम मजुमदार रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती कुमकुम मजुमदार पति स्व. आर. सी. मजुमदार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
| --- | --- |
| रमा मजुमदार<br>पति-स्व. आर. सी. मजुमदार<br>निवासी-एम. आई. जी. 569,<br>न्यू बोरसी कालोनी, दुर्ग<br>तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) | श्रीमती कुमकुम मजुमदार<br>पति-स्व. आर. सी. मजुमदार<br>निवासी-एम. आई. जी. 569,<br>न्यू बोरसी कालोनी, दुर्ग<br>तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) |

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बसंत आ. स्व. रामदयाल उम्र 59 वर्ष, निवासी-ग्राम-मोरिद, पोस्ट-डुंडेरा, तहसील पाटन जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के विभागीय दस्तावेज में मेरे पुत्र का नाम त्रुटिवश परमेश्वर दर्ज हो गया है जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक व सही नाम यशवंत कुमार है जो कि उसके शैक्षणिक अंकसूची व आधार कार्ड में दर्ज है. मैं अपने पुत्र का पूर्व नाम परिवर्तित कर नया नाम यशवंत कुमार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरे पुत्र को यशवंत कुमार आत्मज श्री बसंत के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| परमेश्वर<br>पिता-श्री बसंत<br>निवासी-ग्राम-मोरिद, पोस्ट-डुंडेरा,<br>तहसील-पाटन जिला-दुर्ग (छ. ग.) | यशवंत कुमार<br>पिता-श्री बसंत<br>निवासी-ग्राम-मोरिद, पोस्ट-डुंडेरा,<br>तहसील-पाटन जिला-दुर्ग (छ. ग.) |

---

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती किरण भोई ध. प. श्री विनोद कुमार भोई उम्र 35 वर्ष, निवासी-दीपक नगर, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरा विवाह दिनांक 19-04-2013 को श्री विनोद कुमार भोई पिता श्री अमरनाथ भोई निवासी बिलासपुर (छ. ग.) के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पूर्व मैं कु. किरण साहू आत्मजा श्री कृपाराम साहू के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती थी तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. विवाह पश्चात् मैंने अपने उपनाम "साहू" के स्थान "भोई" जोड़कर श्रीमती किरण भोई रख ली हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं

अतः अब मुझे श्रीमती किरण भोई ध. प. श्री विनोद कुमार भोई के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| कु. किरण साहू<br>आत्मजा-श्री कृपाराम साहू<br>निवासी-दीपक नगर, दुर्ग<br>तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) | श्रीमती किरण भोई<br>पति-श्री विनोद कुमार भोई<br>निवासी-दीपक नगर, दुर्ग<br>तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) |

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विवेक सिंह आत्मज श्री विनय सिंह, उम्र 24 वर्ष, निवासी-प्लाट नं.-39 कैलाश नगर, सरस्वती स्कूल के पास, हाऊसिंग बोर्ड, भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम विवेक मुन्ना एवं विवेक मुन्ना सिंह दर्ज हो गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है. मेरे आधार कार्ड मतदाता परिचय पत्र एवं शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम विवेक सिंह दर्ज है जो कि सही है अत: मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम विवेक सिंह रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे विवेक सिंह आ. श्री विनय सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

विवेक मुन्ना एवं विवेक मुन्ना सिंह
पिता- श्री विनय सिंह
निवासी-प्लाट नं.-39, कैलाश नगर,
सरस्वती स्कूल के पास, हाऊसिंग बोर्ड, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

**नया नाम**

विवेक सिंह
पिता- श्री विनय सिंह
निवासी-प्लाट नं.-39, कैलाश नगर,
सरस्वती स्कूल के पास, हाऊसिंग बोर्ड, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, थॉमसन टेडी (THOMSON TEDY) आ. टॉमी थॉमस (TOMY THOMAS), उम्र 46 वर्ष, एम. आई. जी.-1/459 आमदी नगर हुडको, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मेरे स्कूल एवं कालेज की अंकसूची में मेरा नाम त्रुटिवश थॉमासन टेडी (THOMASON TEDY) दर्ज हो गया है. मैंने अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम थॉमसन टेडी (THOMSON TEDY) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे थॉमसन टेडी आ. श्री टॉमी थॉमस के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

थॉमासन टेडी (THOMASON TEDY)
पिता-श्री टॉमी थॉमस
(TOMY THOMAS)
निवासी-एम. आई. जी.-1/459,
आमदी नगर हुडको, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

**नया नाम**

थॉमसन टेडी (THOMSON TEDY)
पिता श्री टॉमी थॉमस
(TOMY THOMAS)
निवासी-एम. आई. जी.-1/459,
आमदी नगर हुडको, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शिव शरण अग्रवाल (Shiv Sharan Agrawal) आत्मज स्व. भानु प्रताप अग्रवाल (Bhanu Pratap Agrawal) उम्र 59 वर्ष, निवासी ब्लाक नं. 87, प्लाट नं. 23, नेहरू नगर (पूर्व) भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा सही व वास्तविक नाम Shiv Sharan Agrawal है, जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक खाता में दर्ज है. मेरे माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल के प्रवेश पत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम Shive Sharan दर्ज है, जो कि अंग्रेजी स्पेलिंग त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम शिव शरण अग्रवाल (Shiv Sharan Agrawal) रख लिया हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे शिव शरण अग्रवाल (Shiv Sharan Agrawal) आ. स्व. भानु प्रताप अग्रवाल (Bhanu Pratap Agrawal) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

शिव शरण अग्रवाल
(Shive Sharan Agrawal)
पिता-स्व. भानुप्रताप अग्रवाल
निवासी- ब्लाक नं. 87, प्लाट नं. 23,
नेहरू नगर (पूर्व), भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

**नया नाम**

शिव शरण अग्रवाल
(Shiv Sharan Agrawal)
पिता-स्व. भानुप्रताप अग्रवाल
निवासी- ब्लाक नं. 87, प्लाट नं. 23,
नेहरू नगर (पूर्व), भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

---

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चन्द्रशेखर देशमुख (CHANDRA SHEKHAR DESHMUKH) आ. स्व. समारू लाल देशमुख उम्र-58 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 113/डी, रिसाली सेक्टर, भिलाईनगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम चन्द्रशेखर आ. स्व. समारू लाल दर्ज है, जो कि त्रुटिपूर्ण है. मेरे पेन कार्ड आधार कार्ड व बैंक दस्तावेजों में मेरा नाम चन्द्रशेखर देशमुख आ. समारू लाल देशमुख दर्ज है, जो कि सत्य है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम चन्द्रशेखर देशमुख रख लिया हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं

अतः अब मुझे चन्द्रशेखर देशमुख आ. स्व. समारू लाल देशमुख के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

चन्द्रशेखर
(CHANDRA SHEKHAR )
पिता-स्व. समारू लाल
निवासी- क्वा. नं. 113/डी., रिसाली सेक्टर, भिलाईनगर,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

**नया नाम**

चन्द्रशेखर देशमुख
(CHANDRA SHEKHAR DESHMUKH )
पिता-स्व. समारू लाल देशमुख
निवासी- क्वा. नं. 113/डी., रिसाली सेक्टर, भिलाईनगर,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

# विविध

## अन्य सूचनाएं

### कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला गरियाबंद (छ. ग.)

गरियाबंद, दिनांक 2 मई 2017

क्रमांक/स.पं.ग./परिसमापन/2017/341.— प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित, बेलर पंजीयन क्रमांक-395 विकासखंड-फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र, कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/608 दिनांक 30-11-2016 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं भलेरियन टोप्पो, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गरियाबंद (छ. ग.) शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित, बेलर पंजीयन क्रमांक-395, विकासखंड फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूॅ तथा श्री एस. के. पाण्डेय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख.-फिंगेश्वर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूॅ.

गरियाबंद, दिनांक 2 मई 2017

क्रमांक/स.पं.ग./परिसमापन/2017/343.— प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित, मड़वाडीह, पंजीयन क्रमांक-394 विकासखंड-फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र, कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/608 दिनांक 30-11-2016 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं भलेरियन टोप्पो, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, गरियाबंद (छ. ग.) शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित मड़वाडीह, पंजीयन क्रमांक-394 विकासखंड-फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूॅ तथा श्री एस. के. पाण्डेय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख.-फिंगेश्वर, को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूॅ.

गरियाबंद, दिनांक 2 मई 2017

क्रमांक/स.पं.ग./परिसमापन/2017/344.— प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित जमाही, पंजीयन क्रमांक-396 विकासखंड-फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र, कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/608 दिनांक 30-11-2016 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं भलेरियन टोप्पो, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, गरियाबंद (छ. ग.) शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित जमाही, पंजीयन क्रमांक-396 विकासखंड-फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूॅ तथा श्री एस. के. पाण्डेय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख.-फिंगेश्वर, को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूॅ.

गरियाबंद, दिनांक 2 मई 2017

क्रमांक/स.पं.ग./परिसमापन/2017/345.— प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित गनियारी, पंजीयन क्रमांक-393 विकासखंड-फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र, कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/608 दिनांक 30-11-2016 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं भलेरियन टोप्पो, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, गरियाबंद (छ. ग.) शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित गनियारी, पंजीयन क्रमांक-393 विकासखंड-फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. के. पाण्डेय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख.-फिंगेश्वर, को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 2 मई 2017

क्रमांक/स.पं.ग./परिसमापन/2017/346.— प्रयाग क्रेडिट-को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, राजिम, पंजीयन क्रमांक-09, विकासखंड -फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र, कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/609 दिनांक 30-11-2016 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं भलेरियन टोप्पो, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, गरियाबंद (छ. ग.) शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन प्रयाग क्रेडिट-को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, राजिम, पंजीयन क्रमांक-09, विकासखंड-फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. के. पाण्डेय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख.-फिंगेश्वर, को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 2 मई 2017

क्रमांक/स.पं.ग./परिसमापन/2017/347.— प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित कुल्हाड़ीघाट, पंजीयन क्रमांक-397 विकासखंड -मैनपुर, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र, कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/608 दिनांक 30-11-2016 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं भलेरियन टोप्पो, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, गरियाबंद (छ. ग.) शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित कुल्हाड़ीघाट, पंजीयन क्रमांक-397 विकासखंड-मैनपुर, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री ए. एन. सिंह, सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख.-मैनपुर, को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 2 मई 2017

क्रमांक/स.पं.ग./परिसमापन/2017/348.— प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित बारूला, पंजीयन क्रमांक-398 विकासखंड - गरियाबंद, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र, कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/608 दिनांक 30-11-2016 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं भलेरियन टोप्पो, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, गरियाबंद (छ. ग.) शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित बारूला, पंजीयन क्रमांक-398 विकासखंड-गरियाबंद, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री ए. एन. सिंह, सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख.-गरियाबंद, को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 2 मई 2017

क्रमांक/स.पं.ग./परिसमापन/2017/349.— प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित पोड़, पंजीयन क्रमांक-399 विकासखंड-छुरा, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र, कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/608 दिनांक 30-11-2016 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं भलेरियन टोप्पो, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, गरियाबंद (छ. ग.) शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित पोड़, पंजीयन क्रमांक-399 विकासखंड-छुरा, जिला -गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. एल. पटेल, सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख.-छुरा, को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 2 मई 2017

क्रमांक/स.पं.ग./परिसमापन/2017/350.— प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित पाटसिवनी, पंजीयन क्रमांक-400 विकासखंड -छुरा, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र, कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/608 दिनांक 30-11-2016 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं भलेरियन टोप्पो, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, गरियाबंद (छ. ग.) शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित पाटसिवनी, पंजीयन क्रमांक-400, विकासखंड-छुरा, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. एल. पटेल, सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख.-छुरा, को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

गरियाबंद, दिनांक 2 मई 2017

क्रमांक/स.पं.ग./परिसमापन/2017/351.— प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित कुकदा, पंजीयन क्रमांक-401 विकासखंड -छुरा, जिला-गरियाबंद को परिसमापन में लाने संबंधी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र, कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/608 दिनांक 30-11-2016 के द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: मैं भलेरियन टोप्पो, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, गरियाबंद (छ. ग.) शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अधीन प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित कुकदा, पंजीयन क्रमांक-401 विकासखंड-छुरा, जिला गरियाबंद को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस. एल. पटेल, सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख.-छुरा, को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

**भलेरियन टोप्पो**
सहायक पंजीयक .

---

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.